364(1)
संख्या:यू.ओ. 124(3)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

वी0 लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

श्री ए.बी.शुक्ला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

न्याय अनुभाग: देहरादून: दिनांक 27 जून, 2003

विषय: मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खण्डपीठ में उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित लम्बित मुकदमों को उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल को हस्तान्तरित होने वाली रिट याचिकाओं, अपील आदि से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अभी भी मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ही पड़ी हुई हैं । इन पत्रावलियों को उत्तरांचल उच्च न्यायालय में हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है ।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित सभी पत्रावलियाँ, अपीलें आदि को हस्तान्तरण के लिए पृथक कर एवं उनको सूचीबद्ध करके उत्तर प्रदेश समन्वय विभाग के माध्यम से उत्तरांचल पुनर्गठन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सभी पत्रावलियाँ मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल को उपलब्ध हो सकें ।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

(वी0 लाल)
सचिव ।

364(1)
संख्या:-यू.ओ. 124(3)/न्याय विभाग/2003-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कार्य को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में अपने-अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ।
3- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, जनपथ, विकास भवन, लखनऊ ।
4- सचिव, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
5) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(यू.सी. ध्यानी) 27/6
अपर सचिव ।